



Neutral Citation No. - 2026:AHC:28453

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 1773/2026

संजु सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: अनोज कुमार मिश्रा

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी., प्रखर शरण श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

1. रिट याचिका के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.के. मिश्रा और साथ ही विद्वान राज्य विधि अधिकारी श्री विपिन कुमार एवं प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता प्रखर शरण श्रीवास्तव उपस्थित हैं।
2. वर्तमान याचिका में की गई एकमात्र प्रार्थना द्वितीय एसीपी (ACP) प्रदान करने के लिए है, क्योंकि याचिकाकर्ता चपरासी के पद पर कार्यरत है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह याचिकाकर्ता का मामला है और मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय), मैनपुरी-प्रत्यर्थी संख्या 3 को याचिकाकर्ता की शिकायत पर विचार करने और कानून के अनुसार उसका निर्णय करने हेतु निर्देश जारी किया जाए।
4. तर्कों पर विचार करते हुए, रिट याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय), मैनपुरी-प्रत्यर्थी संख्या 3, रिट याचिकाकर्ता द्वारा अपनी सभी शिकायतों को उठाते हुए प्रस्तुत विस्तृत प्रत्यावेदन पर, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के पश्चात तीन महीने की अवधि के भीतर निर्णय लें।

(माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

6 फरवरी, 2026

वीरेंद्र

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"